

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा-1 / मॉडल स्कूल / 2008 पार्ट

251

जयपुर दिनांक 23-05

आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर, राजस्थान।

विषय :— खामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015-16 से प्रवेश हेतु नीति का निर्धारण कर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाने वाले।

संदर्भ :— राज्य सरकार का पूर्व पत्रांक क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा-1 / मॉडल स्कूल / 2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं दिनांक 21.08.2013।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत संचालित खामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु प्रसारित दिशा-निर्देशों ने संशोधन करते हुए सत्र 2015-16 से कक्षा 6 से 9 के लिए निम्नानुसार प्रवेश नीति निर्धारित की जाती है :—

(A) कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश नीति

1. कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया रखी जानी है जो निम्नानुसार है—
 - i. प्रथम वरीयता—सबधित ब्लॉक्स से विधवा, परित्यक्ता एवं एच.आई.वी. एडस पीडित अभिभावकों के बालक-बालिकाएं।
 - ii. द्वितीय वरीयता—विकलांग बालक-बालिकाएं वाहे वो किसी भी श्रेणी के हों।
 - iii. तृतीय वरीयता—वी.पी.एल. परिवार (केन्द्र व राज्य सूची) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के बालक-बालिकाएं।
 - iv. चतुर्थ वरीयता—वी.पी.एल. परिवार के सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाएं।
 - v. पंचम वरीयता—नॉन वी.पी.एल. परिवार के बालक-बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के हों।
 - vi. छठी वरीयता—नॉन वी.पी.एल. सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाएं।
2. कुल प्रवेश योग्य सीटों पर बालिकाओं के लिए सत्र 2014-15 में निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 55 प्रतिशत का प्रावधान छात्राओं हेतु रखा जावे।
3. मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें। सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. कक्षा 6 में शत प्रतिशत प्रवेश नहीं होंगे। कक्षा 7 एवं 8 में पूर्व से अध्ययरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष रिक्त सीटों पर भी निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे।
5. प्रवेश समिति द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा में शत प्रतिशत नामांकन हो।

(952)

8. उसीप्रकार एवं वर्णनाता में चलतोहित कम हो जाए तो शिक्षणों की पूर्ति जी जायेगी। किन्तु जी अब में आवश्यकता होते हो तो लोडोफे के सहयोग से उपयन किया जायेगा।
 9. प्रवेश समिति का समाज-वैभवक स्वरूप राज्य सरकार द्वारा तार्फ 2014-15 हेतु जारी दिया जाइदारी के अनुसुचि हो जायगा जो निम्नानुसार है—
 i. मानव संकलन के नियमोंसम्बन्धीय उच्च मानवाधिक विद्यालय का प्रधानाधारी—प्राचारक
 ii. लोक प्राचाराधिक शिक्षा अधिकारी—सदस्य
 iii. राज्यनीय बजार के एक जन प्रतिविधि (आग्रह द्वारा नियमित) सदस्य
 iv. मॉडल स्कूल का प्रधानाधारी—सदस्य समिय
 10. अनुसुचित जारी/अनुसुचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमज़ार वर्ग/आर्थिक नियमीलिपि/वापोएल/विकलग इत्यादि के संबंध में जारी प्रभाग-पत्र (नियम नियमीलिपि) वापोएल/विकलग इत्यादि के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना सबधित राज्य सरकार/संघ सरकार के सबधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि दब्बे का यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरम्भ में स्वीकार कर किया जाए किन्तु सबधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा करना होगा।
 11. कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु शेष समस्त शर्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (15)/शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं 21.08.2013 के अनुसार ही प्रभावी होंगी।

(B) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु नीति

स्वामी दिवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015-16 से कक्षा 9 के लिए प्रवेश नियमानुसार होंगी—

1. प्रति मॉडल स्कूल 9वीं कक्षा में 2 सेक्षन के अनुसार अधिकतम प्रवेश योग्य विद्यार्थियों की सख्त्या 80 होगी।
2. स्वामी दिवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत आठवीं कक्षा के विद्यार्थी रक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
3. 8वीं परीक्षा में ग्रेड वी अथवा 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक स्तर प्राप्त करने पर विद्यार्थियों को आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाकर उनका अन्य राजकीय विद्यालयों में प्रवेश करवाया जायेगा।
4. उक्तानुसार सीटें भरने के उपरान्त कक्षा 9 में शेष रही रीटों पर प्रवेश हेतु लोकप्रति उत्तर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
5. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णक 33 प्रतिशत होगा।
6. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 9वीं कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
7. प्रवेश परीक्षा के अंक जारी होने के उपरान्त किसी प्रकार की पुन जाँच का प्रावधान नहीं होगा।
8. प्रवेश परीक्षा में घराने के उपरान्त भी विद्यार्थी तब तक प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब वह आवश्यक दस्तावेज समिति को उपलब्ध करवाएगा एवं समिति उक्त दस्तावेजों से पूर्णतः सतुष्ट होगी।

९. किसी भी प्रकार के विवाद को निम्नि में लिखा जाएगा। जिसमें कहा जाएगा कि कौन से रूप से मान्य होगा।

१०. प्रवेश में आरक्षण के प्राक्कान निम्नानुसार होंगे—

- i. राज्य के टीएसपी छात्रों एवं वारे जिले के अधिकारीय कम्ब दर्ताकाल में इसके वर्णन के अधार पर हिंदू जाति वाली प्रवेश वर्गीय लीडर में से अनुसृत जाति हेतु—५५ प्रतिशत, अनुसृत जनजाति हेतु—१२ प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु—२१ प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु—१ प्रतिशत, जातिया लोटी एवं लोटी लोटी एवं ५० प्रतिशत के अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
- ii. टीएसपी, एरिया के संबंधित लोकित में आरक्षण राज्य वर्कर के संबंधित अनुसृत जनजाति हेतु—४५ प्रतिशत, अनुसृत जाति हेतु—३ प्रतिशत एवं शेष ५० प्रतिशत सोटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
- iii. वारे जिले के सामरत लोकित में प्रवेश संगीतों के विषय से नई जाने वाली लोटी हेतु अनुसृत जाति हेतु ४ प्रतिशत, अनुसृत जनजाति हेतु ६ प्रतिशत, विशेष वर्ग हेतु १० प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु १ प्रतिशत, अनुसृत जाति हेतु २५ प्रतिशत आरक्षित होगी, एवं शेष ५० प्रतिशत सोटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
- iv. प्रत्येक वर्ग में चूनातम ५५ प्रतिशत सीट छात्राओं हेतु एवं ३ प्रतिशत लोटे नियंत्रित जांचने के लिए आरक्षित होंगी।
- v. प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में ५५ प्रतिशत छात्राएं समलैंग नहीं होती हैं तो उन सभी उसी वर्ग के छात्रों से भरी जावेगी। इसी प्रकार ३ प्रतिशत नियंत्रित जांचने वाले होने पर शेष सीट उसी वर्ग के छात्र-छात्राओं से भरी जावेगी।
- vi. किसी वर्ग हेतु नियांत्रित सीटों के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी जांचने वाले होने की स्थिति में शेष सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

११. प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया :-

- i. प्रवेश परीक्षा में संबंधित लोक के ग्रामीय/निवासी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छोटे कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।
- ii. प्रवेश परीक्षा का आयोजन संबंधित जिले के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल रकूल में किया जायेगा।
- iii. प्रवेश परीक्षा हेतु पेपर का निर्माण एवं प्रवेश परीक्षा के क्रियान्वयन को सम्बन्धित जिम्मेदारी जिला स्तर पर गठित समिति की हाथी। समिति निम्नानुसार होगी—
 - जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अभियान—अध्यक्ष। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान—अध्यक्ष।
 - प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान—सदस्य।
 - अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान—सदस्य
 - सरथा प्रधान—१ स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल रकूल (जिले के सभी लोटी मॉडल स्कूल रो)। सदस्य
 - कार्यक्रम अधिकारी, सदस्य सदिव होंगे।
- iv. प्रश्न पत्रों में गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय पर बहुप्रश्न प्रश्न पूछे जावेंगे। प्रश्न पत्र ८वीं कक्षा के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र कुल १०० अंकों का होगा एवं प्रत्येक विषय को बराबर अक्षमार प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रश्नपत्र न हिन्दी विषय के अलावा अन्य विषयों के प्रश्न अंग्रेजी मात्रा में सुनित होंगे।
- v. प्रवेश परीक्षा की अवधि ३ घण्टे की होगी।

(259)

- v. जिला लाइ पर गठित समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया 01 अप्रैल तक मूर्ण की जावेगी एवं इस परीक्षा के आधार पर वर्गवार बनाई गई ग्रेड लिस्ट में से उपलब्ध सिविलों पर 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया मूर्ण की जावेगी।
- vi. जिला स्तरीय समिति द्वारा ही ब्लॉकवार रिप्रिटरों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समावार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रवार-प्रसार किया जायेगा।
- vii. जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रश्न पत्रों को 5 विभिन्न Sequential Order में निर्मित किया जायेगा।
- viii. पत्रों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा कराया जायेगा।

प्रवेश हेतु समायबद्ध कलेण्डर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्तर से नियमित कर जारी किया जायेगा। अतः तदनुसार खामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु वर्ष 2015-16 से प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे।

मृगदीप

23/2/15
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

23/2/15
शासन उप सचिव, प्रथम

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प 4 (15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट

जयपुर दिनांक 30/6/15

आयुक्त,

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

जयपुर, राजस्थान।

विषय :- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015-16 से प्रवेश हेतु जारी नीति में आंशिक संशोधन किये जाने बाबत।

संदर्भ :- राज्य सरकार को पूर्व पत्रांक क्रमांक : प 4 (15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 23.02.2015 के क्रम में।

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति में सत्र 2015-16 से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. कक्षा 9 हेतु जारी प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में आवंश्यक शिथिलन प्रदान करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
 - 1.1. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं 8वीं कक्षा की परीक्षा में समग्र रूप से 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
 - 1.2. 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को आरटीई. एक्ट (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जावेगा। इसके आधार पर वे अन्य विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे।
 - 1.3. 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से रिक्त रही सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तैयार प्रतीक्षा सूची में से प्रवेश हेतु जिला स्तरीय समिति अधिकृत होगी। परन्तु 9वीं कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निर्धारित मापदंडानुसार ही होगी।
2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश नीति में विभिन्न श्रेणियों में प्रवेश सीटें आरक्षित करने हेतु प्रवेश नीति में बिन्दु संख्या C (विभिन्न श्रेणियों में प्रवेश हेतु सीटें आरक्षित करने का प्रावधान) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-
 - 2.1. प्रत्येक मॉडल विद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त तीन सीटों पर राज्य सरकार के स्तर से प्रवेश की अनुशंसा की जा सकेगी।
 - 2.2. मॉडल विद्यालय से संबंधित जिले के वर्तमान माननीय सांसद (लोकसभा) उस जिले के प्रत्येक मॉडल विद्यालय में एक सीट पर प्रवेश दिलाने हेतु अनुशंसा उसी संसदीय क्षेत्र के निवासी छात्र/छात्रा के लिए कर सकेंगे।

- 2.3 सासद (राज्य सभा) अपने गृह जिले के संचालित मॉडल स्कूलों में प्रत्येक विद्यालय के लिए एक विद्यार्थी, जो उसी जिले के निवासी हो, के लिये प्रवेश की अनुशंसा कर सकेंगे।
- 2.4 मॉडल विद्यालय से संबंधित जिले के वर्तमान माननीय जिला प्रमुख उस जिले में प्रति मॉडल विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट पर उसी जिले के निवासी छात्र-छात्रा के प्रवेश हेतु अनुशंसा कर सकेंगे।
- 2.5 मॉडल विद्यालय से संबंधित जिले के माननीय जिला कलक्टर अपने जिले में प्रति विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट पर उसी जिले के निवासी छात्र-छात्रा के प्रवेश हेतु अनुशंसा कर सकेंगे।
- 2.6 मॉडल विद्यालय से संबंधित क्षेत्र के वर्तमान माननीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के मॉडल विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट प्रति विद्यालय पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र-छात्रा की प्रवेश हेतु अनुशंसा कर सकेंगे।
- 2.7 मॉडल विद्यालय से संबंधित पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान संबंधित पंचायत समिति के क्षेत्र में स्थित विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट की अनुशंसा कर सकते हैं परन्तु यह अनुशंसा उस पंचायत समिति के क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र-छात्रा हेतु ही होगी।
- 2.8 मॉडल विद्यालय स्थित क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य जिला परिषद् स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में संचालित मॉडल विद्यालय में स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र-छात्रा के लिये एक सीट पर प्रवेश दिलाने हेतु अनुशंसा कर सकेंगे।
- 2.9 उक्त सभी प्रकरणों में की गयी अनुशंसा कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश हेतु की जा सकेगी तथा यह अनुशंसा मॉडल विद्यालय की इन कक्षाओं हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के अतिरिक्त सीटों के लिये होगी।
उक्त प्रवेश प्रावधान राज्य में संचालित समस्त खासी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के लिए लागू होंगे। अतः तदनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे।
- ४१
- शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

५१

शासन उप सचिव, प्रथम



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017
दूरभाष : 0141-5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com



क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/प्रवेश प्रक्रिया/ 12572

दिनांक : ३०.६.१५

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं,
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
जिला- समस्त जिले

विषय :- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015-16 से प्रवेश हेतु जारी नीति में आंशिक संशोधन किये जाने बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक प. 4 (15)शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट 10544 जयपुर दिनांक 24.02.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु प्रसारित दिशा-निर्देशों के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा जरिये पत्रांक प. 4 (15)/शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 30.06.2015 से प्रवेश नीति में संशोधन किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से संशोधित प्रवेश नीति अनुसार प्रवेश सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(जस्सराम चौधरी)

अति. आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. अति. आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले।
6. संस्थाप्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल-समस्त ब्लॉक।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त 30/6/15
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 4(15)शिक्षा-1 / मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 17.6.2021

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान रकूल शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में
जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत।
प्रसंग:- पत्रांक: रा.स्कूल शि.प. / जय / मॉडल स्कूल / संस्थापन / ई.सी.जी.सी.
/75039-II / 19872 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संबंधित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल
विद्यालयों में कक्षा-6, 9, व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के
विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में "संबंधित ब्लॉक के
विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को
प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात
कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे",
संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

17.6.2021
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आषङ्कक कार्यपाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन राज्यिक, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
- निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- रक्षित पत्रावली।

17.6.21
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी—शिक्षा